अपील सूचना अधिकार संख्या 06/2022 (GCMS 2022/23)(आईटीआई पोर्टल नं. 212226405616052) सुरेश भेरूमल तिलानी निवासी तीसरा ताला उत्सव अपार्टमेंट, गणेश गली, एसडीएफसी बैंक के पास, मणिनगर, अहमदाबाद (मोबाईल नं. 9898375276)

04.01.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुरेश भेरूमल तिलानी के अधिवक्ता श्री राजकुमार नागपाल स्वयं उपस्थित हुए। अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उसने अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.11.2021 से उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही थी, किन्तु उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने वांछित सूचनाएं पुरानी होने के कारण देने से इंकार कर दिया। इसलिए उसने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है। साथ ही उसने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से बेसिक रजिस्टर की नकल दिलवाने की प्रार्थना भी की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

> कस्टोडियन कृषि भूमि की नकल देने बाबत श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी स्व. श्री गिरधारी लाल निवासी गौरीशंकर रिपेयरींग सब्जी मंडी कोटा (राज.) आम मुख्त्यार श्री जेठामल तिलानी एवं श्री भेरूमल तिलानी निवासी 301 उत्सव [illegible]सी बैंक, गणेश गली, मणिनगर, अहमदाबा[illegible] भूमि बाबत पत्रावली नं. SA/63/173/5106 [illegible] AF No. R/K/12/I([illegible]) की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलि[illegible] देवें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:38:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक 353 दिनांक 09.12.2021 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्नलिखित सूचना चाही गई है। सूचना का प्रत्युत्तर निम्नानुसार हैः

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना	प्रत्युत्तर
1	श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी स्व. श्री गिरधारीलाल निवासी गौरी शंकर रिपेयरिंग सब्जी मंडी कोटा (राज.) आम मुख्त्यार श्री जेठामल तिलानी एवं श्री भैरूमल तिलानी निवासी 301 उत्सव एप नियर एचडीएफसी बैंक गणेश गली, मनीनगर, अहमदाबाद—380008की कस्टोडियन कृषि भूमि बाबत पत्रावली नं. एसए/63/173/5106 दिनांक 28.6.1968 सीएएफ नं. R/K/12/I/(MA) की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।	आप द्वारा जिस पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है। उक्त पत्रावली लगभग 53 वर्ष पुरानी है। पत्रावली तलाश करवाई गई,परन्तु अभी तक नहीं मिली है। अतः वांछित प्रमाणित प्रतिलिपि दी जानी सम्भव नहीं है।

> -sd-
> सहायक लोक सूचना अधिकारी
> एवं उपखण्ड अधिकारी,
> श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है **कि वांछित सूचना उनके कार्यालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी का पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:38:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है और उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर अपने पत्र दिनांक 09.12.2021 से अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है कि उनके पास वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य हैं। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी बेसिक रजिस्टर की नकल हेतु वांछित सूचनाएं यथा—आवंटी का नाम, चक, गांव का नाम आदि की जानकारी उपलब्ध करवा देवें तो उसे सूचना का अधिकार अधिकारी 2005 के प्रावधानों के अनुसार सूचना उपलब्ध करवा दी जावे।**

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible]23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:38:59 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर